

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री का. लाला व भू.अ.नि. श्री का. लाला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री तहसील, जिला में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मीठ का तला	49	कृष्णा लाल प्रागा	श्रीराज लाल प्रागा
2.	"	49	काना लाल राजा	श्रीतनराज लाल राजराज
3.	"	93	मुसा लाल वाला	मोहनराज लाल वालाराज
4.	"	25	हाला लाल मोहन	आहमद लाल मोहन
5.	इष्टे का तला	13	चतुराज लाल सामराज	चतुराज लाल सामराज
6.	मीठ का तला	61	मिथल पुत्र उलमान	वैद्यराज लाल उलमान
7.	इष्टे का तला	13	शरवण लाल माला	शरवण लाल मालाराज



उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा.कलक्टर
 चोहटन

कमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
 चोहटन